

18-618

पत्रावली ब्यवसाय के अन्तर्गत कलकत्ता

पेश हुई

वडीगण के वकील उपस्थित (

हमने पत्रावली का अवलोकन किया)

वडीगण ने वाड में मौजा

पतेहाडा तह. शिव की बसरा बख

पडा रकबा 510-08 बीघा भूमि विस्त

में उपस्थित लोगों को कतिबिधों से

फलापुत्रा बचाने की धारा 183

RTAए के तहत इस्तेमाल नही है

जबकि धारा 183 RTAए के तहत

कोई कतेदार अपनी कृषि भूमि पर

बिना कल बलि द्वारा जबरन कब्जा

किये जाने की स्थिति में उसे बहक

बचाने तथा कब्जा प्राप्त करने

के लिये वाड प्रस्तुत का प्रस्ताव है।

सरकारी भूमि पर कतिबिध

के अन्तर्गत में बाधकारी भूमि विपद

के अवधान लागू नही होते हैं, बल्कि

धारा 91 RLR एक्ट के तहत बाधकारी

के अन्तर्गत ही सरकारी भूमि को कतिबिध

प्रकार विपदा जा प्रस्ताव है।

उपर्युक्त विवेक से प्रस्ताव

है कि वर्तमान स्वरूप में वडीगण

का वाद चलने योग्य नहीं है जब
तक औद्योगिक भूमि पर खतिवड़ा का
प्रश्न है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार
शिव को निर्देश दिए जाते हैं कि
वादग्रस्त भूमि पर खतिवड़ा पाये जाते
पर उसके विरुद्ध धारा 91 RLR Act
के प्रावधानों के तहत कर खोरा भूखे
को खतिवड़ा मुक्त विभाⁿ जना हुनिचित
कों तहसील जारी हो।

चूंकि वाद में कोई काबिज
नहीं है।

लेहजा कायम का वाद इसी
तहत कर विभा जाग हो

प्रकार की प्रत्येक प्रमाण देना इच्छित
हो।

